तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.12.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा टूस डांगियान, तहसील वल्लभनगर में खाता संख्या 162 की आराजी नंबर 118, 270, 285, 286, 289, 290, 291, 570/5 किता 8 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वरदा, लोगरिया, खेमा पिता नंगा 1/2, देवजी पिता वाला 1/4, कालू, जोधा पिता लाल 1/8, जोधा पिता चोखा 1/8 दर्ज है तथा नामान्तरकरण संख्या 1180 विरासत से देवजी पिता वाला डांगी के बजाय श्यामलाल, मोहनलाल, उदीबाई, नारायणी बाई, दलु बाई पिता देवजी, नोजी बाई बेवा देवजी 1/4 दर्ज है। उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 11 संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित भूमि है। लोगरिया पिता नंगा का निधन हो चुका है, जिसके वारिस वादीगण हैं तथा देवजी के वारिस प्रतिवादी संख्या 3 से 8 हैं। उक्त भूमि का कानूनी बंटवारा नहीं होने से पक्षकारों में विवादत होता है तथा भूमि विकास में भारी दिक्कत आती है। वादग्रस्त आराजियात में वादीगण का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 से 8 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9, 10 का 1/8 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 11 का 1/8 हिस्सा होकर इसी अनुसार संयुक्त आधिपत्य है। अतः विवादित आराजियात का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.06.2015 को प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी तथा दिनांक 05.07.2016 को अंतिम डिक्री जारी की गयी, किन्तु दिनांक 04.01.2021 की आदेशिका अनुसार पत्रावली अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3 से 8 की शिकायत पर छुडवाई जाकर पेश हुई। पत्रावली के साथ एक अन्य पत्रावली आदेश 9 नियम 13 जा.दी. की संलग्न है, जिसमें निर्णय होकर प्रारम्भिक डिक्री व अंतिम डिक्री को अपास्त किया जा चुका है तथा पत्रावली पुनः नंबर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं [illegible] बाद अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 05.07.2022 को वादीगण की [illegible] अदम हाजरी अदम पैरवी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.16 11:36:22 IST
Reason: SelfAttested

में खारिज कर दिया तथा दिनांक 17.08.2022 को प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की।

उक्त निर्णय दिनांक 05.07.2022 एवं 17.08.2022 से रूष्ट होकर अपीलान्ट / वादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 19.12.2022 को उक्त अपील संख्या 94 / 2022 एवं 95 / 2022 प्रस्तुत की गयी हैं। दोनों ही अपीलें अधीनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण संख्या 13 / 2018 में पारित निर्णय दिनांक 05.07.2022 एवं 17.08.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण में विवादित आराजियात व पक्षकारान समान होने दोनों अपीलों का एक ही निर्णय लिखाया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति संबंधित पत्रावली पर रखी जावे।

अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 अभिभाषक श्री कृपा शंकर मेघवाल उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी, जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 से 11 की ओर से अधिवक्ता श्री ओंकार लाल डांगी उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री संजय सेन उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दोनों अपीलें विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण दोनों अपीलों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में प्रार्थी के पक्ष में अंतिम डिक्री जारी होकर उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर दिये जाने से अपीलान्ट निश्चिन्त हो गया कि उनका बंटवारा हो चुका है। इसलिए उन्हें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद में पारित आदेशों की जानकारी नहीं हो सकी। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाकर अपील अन्दर अवधि शुमार फरमायी जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। दोनों अपीलें प्रस्तुत करने में करीब 2–3 माह का विलम्ब हुआ है, जिसे प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगण कण्डोन किया जाकर अपीलें श्रवणार्थ ग्रहण की जाती हैं।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया [illegible] अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 9 नियम 13 जा[illegible] के नोटिस की [illegible] अपीलान्ट को

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.16 11:56:22 IST
Reason: SelfAttested

नहीं करायी तथा पुनः सुनवाई होने की कोई जानकारी अपीलान्ट को नहीं होते हुए भी अपीलान्ट का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का बंटवारे का वाद होते हुए भी बंटवारे का वाद डिक्री करने के पश्चात भी मौजूदा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 से 8 का काउण्टर क्लेम स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी, जो बिना अधिकार के होकर निरस्त योग्य है। अतः अपीलें स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय 05.07.2022 एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 17.08.2022 निरस्त फरमायी जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 से 11 के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जा.दी. स्वीकार करने के बाद प्रकरण नंबर पर लिया गया, जिसके नोटिस जारी किये गये तथा विपक्षीगणों की तामिल हुई है, किन्तु अपीलान्ट/वादीगण के अनुपस्थित रहने से दिनांक 05.07.2022 को उनका वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया है जो विधि सम्मत है तथा दिनांक 17.08.2022 को प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम स्वीकर कर जो प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी है, वह भी विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 ने वक्त बहस निवेदन किया कि दिनांक 19.06.2015 को राजस्व लोक अदालत में प्रारम्भिक डिक्री सहमति से जारी की गयी है एवं प्रारम्भिक डिक्री की पालना में सभी पक्षकारों की उपस्थिति में दिनांक 06.06.2016 को मौका पर्चा बनाया गया है तथा उसके आधार पर दिनांक 05.07.2016 को अंतिम डिक्री जारी की गयी है, किन्तु रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 को बिना कोई सूचना दिये उक्त डिक्रियां निरस्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने पुनः नई डिक्री जारी कर दी, जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त की जावे तथा पूर्व में पारित प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 19.06.2015 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 05.07.2016 बहाल रखी जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.06.2015 को पक्षकारों की सहमति से लोक अदालत में प्रारम्भिक डिक्री जारी की तत्पश्चात् प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 05.07.2016 को अंतिम डिक्री जारी की, किन्तु उसके ... वर्ष बाद दिनांक 04.01.2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.16 11:56:22 IST
Reason: SelfAttested

की आदेशिका अनुसार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जा.दी. में पारित निर्णय में उक्त प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 19.06.2015 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 05.07.2016 अपास्त किये जाने का अंकन करते हुए प्रकरण पुनः नंबर पर लिये जाने का आदेश हुआ है। इस संबंध में हमने आदेश 9 नियम 13 जा.दी. के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, जो प्रतिवादी संख्या 3 श्यामलाल द्वारा दिनांक 06.03.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अर्थात उक्त प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री जारी करने के करीब एक वर्ष पश्चात प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05.09.2018 निर्णय पारित करते हुए उक्त प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 19.06.2015 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 05.07.2016 अपास्त कर दिया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है। क्योंकि उक्त प्रार्थना पत्र पर जो निर्णय पारित किया गया है, वह अपीलान्ट/वादीगण को बिना सुने पारित किया गया है तथा बिना वादीगण को सुने उनके पक्ष में जारी प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री को निरस्त किया गया है। तत्पश्चात् प्रकरण को पुनः नंबर पर लेकर दिनांक 05.07.2022 को वादीगण का वाद उनकी अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज कर दिया है, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है एवं उसके बाद वादीगण को बिना सुने दिनांक 17.08.2022 को प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी जो न्यायिक प्रक्रिया के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 13/2018 निर्णय दिनांक 05.07.2022 एवं प्रतिवादी के काउण्टर क्लेम पर पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.08.2022 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में न्यायिक प्रक्रिया के तहत पक्षकारों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 10.02.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 09.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.16 11:56:22 IST
Reason: SelfAttested